



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-08052026-272351
CG-OR-E-08052026-272351

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2218]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 7, 2026/वैशाख 17, 1948

No. 2218]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 7, 2026/VAISAKHA 17, 1948

रेल मंत्रालय

[पूर्व तट रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 7 मई, 2026

का.आ. 2309(अ).— रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का 11) की धारा-20 एफ (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा नीचे दी गई तालिका की मद सं. (2) में उल्लिखित अधिकारी को मध्यस्थ के रूप में ओडिशा राज्य में नीचे दी गई तालिका की मद सं. (3) में उल्लिखित विशेष रेल परियोजना के क्षेत्र के संबंध में, इस प्रकार के कार्यों हेतु, प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत करती है, जो, सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

क्रम संख्या	मध्यस्थ	विशेष रेलवे परियोजना का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1	कलेक्टर एवं जिला अधिकारी, बलांगिर	सं. आरडीएम-एलएसी-बीओएल-0012-2025-45635/ राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, दिनांक 04 दिसंबर 2025 ओडिशा सरकार के अनुसार। पूर्व तट रेलवे के संबलपुर मंडल के अंतर्गत टिटलागढ़ (1265 किमी) से गुजरते हुए आरवी (रायपुर-विजयनगरम) लाइन में रहेनभाटा से जेटी (झारसुगुडा-टिटलागढ़) लाइन में सीकरी तक बाईपास लाइन के लिए मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति।

[फा. सं. ईसी/कॉन/आई/बीबीएस/आरएनबीटी-एसएफके/मध्यस्थ]

एच. अनंतरामन, मुख्य अभियंता (निर्माण-II)

MINISTRY OF RAILWAYS

[East Coast Railway (Construction)]

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 7th May, 2026

S.O. 2309(E).— In exercise of the powers, conferred by Section-20F(6) of The Railways (Amendment) Act, 2008(11 of 2008) the Central Government hereby authorize the officer mentioned in column (2) of the Table below as the Arbitrator to perform the function of such authority under said Act in respect of area of the Special Railway Project mentioned in column (3) of the Table below in the state of **Odisha** with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Sl. No.	Arbitrator	Area of the Special Railway Project
(1)	(2)	(3)
1	Collector & DM Bolangir	As per No.RDM-LAC-BOL-0012-2025-45635/Revenue and Disaster Management Department, dtd 04 DEC 2025 Government of Odisha. Appointment of Arbitrator for bypass line from Rahenbhata in RV (Raipur-Vizianagaram) line to Sikri in JT (Jharsuguda-Titilagarh) line by passing Titilagarh (12.65Km) under sambalpur division of East Coast Railway.

[F. No. CE/CONI/BBS/RNBT-SFK/Arbitrator]

H. ANANTHARAMAN, Chief Engineer (Construction-II)